Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Miscellaneous Case No.- 220/2014

Vijay Sharma @ Viju Sharma .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Opposite Parties.

Web Copy, Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.05.2023	**आदेश** प्रस्तुत विविध वाद न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा वाद सं0–125/2012–13 में दिनांक 29.10.12 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर भू–विवाद अपील सं0–45/2013 में दिनांक 21.11.13 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। आवेदक का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा वाद सं0–125/2012–13 में दिनांक 29.10.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर भू–विवाद अपील सं0–45/2013 में दिनांक 21.11.13 को पारित आदेश का अनुपालन विपक्षियों द्वारा नहीं किया गया है। जिसमें निम्न न्यायालय को उचित जाँच कर नामांतरण आदेश निर्गत करने का निदेश है। उक्त आदेश का लंबे समय के उपरांत भी अनुपालन नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1602/17 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 12.03.19 को पारित आदेश में L.D. Appeal No.- 45/13 में दिनांक 21.11.13 को पारित आदेश का अनुपालन तीन माह के अंदर करने का निदेश है। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 04.09.14 के आदेशानुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई एवं अंचलाधिकारी, कदवा से न्यायालय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने संबंधी ए0टी0आर0 की माँग इस कार्यालय के पत्रांक 3471 दिनांक 04.08.14 को की गई। ए0टी0आर0 अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 4410 दिनांक 23.09.14 द्वारा स्मार निर्गत किया गया। जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार ने अपने पत्रांक 1171 दिनांक 06.11.14 द्वारा अंचलाधिकारी, कदवा, कटिहार का ज्ञापांक 1027 दिनांक 03.11.14 की छायाप्रति संलग्न करते हुए जमाबंदी सुधार संबंधी आदेश का अनुपालन किये जाने की सूचना दी गई। परंतु भू–लगान रसीद निर्गत किये जाने संबंधी सूचना एवं दिनांक 21.11.2013 को भू–अपील वाद सं0–45/2013 में पारित आदेशानुसार दखल दिलाये जाने से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई को स्मारित किया गया, जिसके उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार ने पत्रांक 198 दिनांक 15.02.2016 द्वारा सूचित	

		किया गया कि उक्त अपील वाद में दिनांक 21.11.2013 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत की गई थी। जिसमें पूर्णिया देवी क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 17.05.2023	गौशाला, सोनैली के सचिव श्री ललित कुमार सिंह ने निर्गत नोटिस को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती देते हुए सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2335/2015 दायर किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 05.02.2015 को पारित आदेश में याचिकाकर्त्ता की जमाबंदी में बदलाव/सुधार नहीं करने से संबंधित संपूर्ण कागजातों के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश देने के साथ–साथ यह भी निदेशित किया गया कि–"Until disposal of the objection to be raised by the petitioner, the respondent Deputy Collector, Land Reforms shall desist from passing any order respecting the land of the petitioner recorded vide jamabandi No.158." किन्तु याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण L.D. Appeal No.- 45/13 दिनांक 21.11.13 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 1602/2017 में दिनांक 12.03.2019 के पारित न्यायादेश की कंडिका–4 में यथा उल्लिखित "The writ application is disposed of with a direction to the Divisional Commissioner, Purnia, to ensure that the petitioners receive what they are entitled to under his own (Divisional Commissioner's) order, passed in Land Dispute Appeal No. 45 of 2013 within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order." कोविड–19 महासंक्रमण के दौरान अभिलेख में अग्रेतर कार्रवाई अवरूद्ध रही। इस कार्यालय पत्रांक 1274 दिनांक–25.03.2023 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के पत्रांक 238 दिनांक 03.04.23 द्वारा अंचल अधिकारी, कदवा, बारसोई, कटिहार को अनुपालन सुनिश्चित करने के निदेशानुसार अंचल अधिकारी, कदवा ने पत्रांक 680 दिनांक–04.05.23 द्वारा L.D. Appeal No.- 45/2013 में पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि अतिक्रमण मुक्त कराते हुए आवेदक के पक्ष में दखल प्रदान कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई को प्रतिवेदन समर्पित किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन इस न्यायालय को पत्रांक 353 दिनांक–11.05.23 द्वारा समर्पित किया गया। अतः उपर्युक्त के आलोक में इस न्यायालय द्वारा L.D. Appeal No.- 45/2013 में दिनांक–21.11.13 को एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 1602/2017 में दिनांक–12.03.2019 को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उपरांत प्रस्तुत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.